

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, 10-माराएनेचू, लखनऊ।

परिपत्र सं० सी- 66 / तक०प्र० / सौरऊर्जा / 17-18

दिनांक: 09-11-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,

उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

उत्तर प्रदेश।

विषय:-अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर आधारित संयंत्रों की गुणवत्ता एवं क्रियाशीलता के दृष्टिगत संयंत्रों के अधिष्ठापन सम्बन्धित कार्यों को यूपीनेडा के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-28/तक०प्रको०/सो.ला.सि./2016-17 दिनांक 24.06.2016 तथा परिपत्र संख्या 41/तक०प्रको०/सो०फो०वा०प०सि०/2016-17 दिनांक 27.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से क्रमशः सोलर लाइटिंग सिस्टम तथा सोलर फोटो वोल्टेक वाटर पम्पिंग सिस्टम की योजनायें लागू करते हुए इन योजनाओं अर्न्तगत ऋण वितरण करने के निर्देश प्रेषित किये गये हैं, इस क्रम में आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उत्तर प्रदेश के पत्रांक 6035/अधि०-2 दिनांक लखनऊ अक्टूबर 31, 2017 द्वारा उप सचिव,सहकारिता अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- एम०एस०-103/49-3-2017 -186/2017 दिनांक 27.09.2017 एवं तत्संलग्नक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-977/45-वी(अति०ऊ०स्रो०वि०)/2017 दिनांक 29.08.2017 के माध्यम से अपेक्षा की गयी है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी० नेडा की विशेषज्ञता एवं प्रदेश में इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की नोटल एजेन्सी होने के दृष्टिगत तत्कालिक प्रभाव से विभिन्न विभागों की योजनाओं से कराये जाने वाले अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा सम्बन्धी समस्त कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय विकास अधिकरण (यूपी० नेडा) से ही कराये जायें जिससे संस्थाओं की गुणवत्ता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित हो सके तथा योजनाओं का समुचित लाभ जन-सामान्य को प्राप्त हो सके।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 940/12-3-2017-100(10)/14टी.सी.-1,दिनांक-18सितम्बर, 2017 (संलग्न) में वर्णित नियमानुसार नेडा के जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क करते हुए जनपद की समस्त शाखाओं के इच्छुक ग्राहियों को ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें तथा शासन द्वारा देय अनुदान के विषय में कृषि विभाग के स्थानीय

